सार्वजनिक सूचना
वन विभाग हिमाचल प्रदेश में वन रक्षकों की अनुबन्ध के आधार पर भर्ती
नाहन वन वृत नाहन।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग के नाहन वन वृत में वन रक्षकों की अनुबन्ध के आधार पर (on contract basis) मे कुल 6 (अचयन/non-selection) पदों के लिए सीधी भर्ती हेतू नीचे दिये गये निर्धारित प्रपत्र पर आवदेन आमन्त्रित किये जाते हैं। यह भर्ती सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफएफई–ए–बी–2–23/2010 दिनांक 20.09.2014 के वन रक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम व अधिसूचना संख्या एफएफई– ए–बी –2– 23 /2010– पार्ट–I दिनांक 08.07.2016, अधिसूचना संख्या एफएफई– ए–बी –2– 8 /2017 दिनांक 26.08.2017 द्वारा संशोधित किए गए नियमों के आधार पर तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार की जा रही हैं। यह भर्ती खुली है और वन वृत स्तर पर की जा रही है। इसके लिये अभ्यार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोज़गार कार्यालय/उप–रोज़गार कार्यालय में आवेदन की तिथि को पंजीकृत होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोज़गार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्याः श्रम(एफ)16–5/93, तारीख 9 मार्च, 2000 में अंतर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में रोज़गार कार्यालयों/उप रोज़गार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित करने के अतिरिक्त खुले आवेदन भी आमंत्रित किये जा रहे हैं।

इस प्रकार नियुक्त वन रक्षक को रूपये 7910/– (5910/– रूपये मूल वेतन + 2000/– रूपये ग्रेड पे) मासिक का निर्धारित (fixed) भुगतान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को अनुबन्ध के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा। जिसका वर्षानुवर्ष नवीकरण / अवधि विस्तार सम्बन्धित अरण्यपाल द्वारा वर्ष के दौरान संतोषजनक सेवा और आचरण प्रमाणित करने के उपरान्त किया जाएगा। यदि अनुबन्ध में एक वर्ष की या उससे अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षो के लिए अनुबन्ध राशि में सेवा नियमानुसार तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देने का प्रावधान है।

वन रक्षक का पद वृत स्तरीय संवर्ग का है। नवनियुक्त वन रक्षकों की पहली तैनाती कठिन क्षेत्रों में पद उपलब्धता के आधार पर प्रावधित है। प्रार्थी का वन वृत पहले 10 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान बदला नहीं जाएगा व उसके बाद भी वृत वरिष्ठता गंवाए बिना नहीं बदला जाएगा। यदि आवेदक वन विभाग में भर्ती होने का इच्छुक हों और निर्धारित शर्तें एवं योग्यता पूरी करता हो तो निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश वन विभाग की website URL: www.hpforest.nic.in के माध्यम से अथवा वन वृत कार्यालय नाहन में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भेज सकता है। आवेदन की अन्तिम तिथि 11 नवम्बर, 2019 और समय सायं 5 बज़े तक है। जन जातीय/दुर्गम क्षेत्रों के उम्मीदवारों को लागू नियमानुसार आवेदन हेतू 4 (15.11.2019) दिनों का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। महिला उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। जो पद भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए हैं वो भूतपूर्व सैनिक बोर्ड के माध्यम से ही लिए जाएंगे एवं हिमाचल प्रदेश गृह रक्षको के लिए आरक्षित पदो हेतु आवेदन समादेशक (कमान्डेण्ट) हि0 प्र0 गृह रक्षक विभाग द्वारा नामांकन के अनुसार लिए जाएंगे। नाहन वन वृत में श्रेणीबार उपलब्ध पदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

श्रेणी	अनारक्षित	भूतपूर्व सैनिक	आई.आर.डी.पी.	गृह रक्षक	स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों	प्रतिष्ठित खिलाड़ी	कुल योग
सामान्य	0	1	0	1	0	1	3
अनुसूचित जाति	0	0	1	1	0	0	2
अन्य पिछड़ी जाति	0	0	0	1	0	0	1
अनुसूचित जन जाति	0	0	0	0	0	0	0
आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)	0	0	0	0	0	0	0
योग	**0**	**1**	**1**	**3**	**0**	**1**	**6**

I-पात्रता की आवश्यक शर्तें एवं योग्यताएंः–

क. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

ख. आवेदक की आयु 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात आवेदक का जन्म 01.01.1989 से पूर्व व 31.12.2000 के बाद का नही होना चाहिए है।

नोटः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम /स्वायत्त निकायों के सम्बन्धित आवेदकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितो को भी नियमानुसार छूट का प्रावधान है।

ग. आवेदन करते समय अभ्यर्थी का नाम हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोज़गार कार्यालय/उप–रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

घ. आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इस के समतुल्य हो।

ड. अन्य पिछडी जाति एवं IRDP संबंधी प्रमाणपत्र आवेदन की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।

च. न्यूनतम शारीरिक मापदण्डः–

				पुरूष		महिला	
1)	लम्बाई			165	सैं0मी0	150	सैं0मी0
2)	छाती	(क)	बिना फुलाए	79	सैं0मी0	74	सैं0मी0
		(ख)	फुलाकर	84	सैं0मी0	79	सैं0मी0

नोटः– अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को लम्बाई में 5 सैं0मी0 और छाती के माप में 4 सैं0मी0 की छूट होगी।

II- वांछनीय अहर्ताएंः

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

III- भर्ती प्रकियाः–

भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन परीक्षण होंगे जिनके अधिकतम अंक निम्न तालिका अनुसार हैंः–

क्रमांक	परीक्षण	निर्धारित अंक
1.	शारीरिक दक्षता	0
2.	लिखित परीक्षा	85
3.	मूल्यांकन	15
	योगः–	100

1. **शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test):**

वे उम्मीदवार जो उपरोक्त शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करते हों, उनका निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण, निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण की वीडियोग्राफी अनिवार्यतः की जाएगी।

(i) पुरूष अभ्यर्थियों के लिएः–

क्रम सं0	मद	न्यूनतम मापदण्ड	अधिकतम अंक
1.	100 मीटर की दौड़	14 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
2.	800 मीटर की दौड़	2 मिनट 45 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
3.	उंची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
4.	लम्बी कूद (ब्राड जम्प)	4 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

(ii) **महिला अभ्यर्थियों के लिएः–**

क्रम सं0	मद	न्यूनतम मापदण्ड	अधिकतम अंक
1.	100 मीटर की दौड़	17 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
2.	800 मीटर की दौड़	4 मिनट 15 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
3.	उंची कूद	कम से कम 1 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
4.	लम्बी कूद	कम से कम 3 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

2. वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता के सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण होंगे, केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान बारे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा राज्य के समस्त वन वृतों में एक ही दिन संचालित की जाएगी।

3. लिखित परीक्षा में 85 objective type प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हेतू 75 मिनट का समय दिया जाएगा। यह दसवीं कक्षा के स्तर या समकक्ष (equivalent standard) का होगा और इसमें हिन्दी व अंग्रजी भाषा, सामान्य विज्ञान व गणित दसवीं के समक्ष, तथा जंगलों के प्रति, वातावरण एवं वन्यप्राणी की सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, reasoning and aptitude इत्यादि प्रश्न शामिल होंगे। उत्तर पुस्तिका पर इस्तेमाल करने हेतू प्रार्थी को नीली/काली स्याही का बॉल पैन व लिखने के लिए गत्ता लाना अनिवार्य होगा।

4. लिखित परीक्षा के परिणामों पर आधारित योग्यता सूची (Merit list) अनुसार उम्मीदवारों को मूल्यांकन [evaluation] हेतू बुलाया जाएगा जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफएफई– ए–बी –2– 8 /2017 दिनांक 26.08.2017 द्वारा संशोधित किए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(IV) आवेदकों के लिए निर्देशः–

1. आवेदन–पत्र वन विभाग की website URL: www.hpforest.nic.in के माध्यम से लिए जा रहे हैं जो सीधे URL: htpp://forp.hp.gov.in द्वारा भरे जा सकते हैं । जो अभ्यार्थी किसी विशेष परिस्थिति के कारण online आवेदन नहीं कर सकते हैं वह आवेदन, नीचे दिये गये निर्धारित प्रपत्र पर जो कि अच्छे सफेद कागज पर टाईप या छपा हो या स्वच्छ लिखित हो एवं उम्मीदवार द्वारा स्वंय भरा हुआ, द्वारा भी कर सकते हैं । आफ लाईन आवेदन करते समय अपना मोबाईल न0 अवश्य दे जिस पर आप SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त करना चाहते है।
2. आवेदन पत्र में प्रविष्टियां हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही स्वीकार्य होगी।
3. आवेदन पत्र भर कर मुख्य अरण्यपाल वन वृत नाहन, हिमाचल प्रदेश को भेजा जाए।
4. प्रार्थना पत्र की जांच के उपरान्त उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से अथवा वन विभाग की website URL: www.hpforest.nic.in व URL: htpp://forp.hp.gov.in के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे सूचित किया जाएगा। यदि उम्मीदवारों को किसी कारणवश सूचना नहीं मिल पाती है तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा के शुरू होने से पहले वन वृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बज़े से 5 बज़े सांय तक सम्पर्क कर सकते हैं।
5. अन्तिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आवेदक के हस्ताक्षर बिना प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।

7. यदि कोई आवेदन पत्र अधूरा प्राप्त होता है तो उसे रद्द कर दिया जायेगा।
8. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूर्ण नहीं होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी।
9. आवेदक शारीरिक दक्षता परीक्षा व सत्यापन एवं मूल्यांकन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ मूलरूप में अपने साथ अवश्य लायें:–

   क. मैट्रिक एवं 10+2 पास का प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

   ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/पौत्र/पौत्री/आई.आर.डी.पी./अन्तोदय का प्रमाण पत्र।

   ग. एन. सी. सी./एन. एस. एस./खेल,अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

   घ.रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
10. यदि प्रार्थी किसी भी परीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।
11. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए/बिना शर्त इस चयन प्रक्रिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव का अधिकार रखता है।
12. अनुबन्ध पर नियुक्त अभ्यार्थी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार नहीं होगा।
13. जब अभ्यार्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतू बुलाये जायेंगे उस समय वह 4 प्रतियां पासपोर्ट साईज़ फोटोग्राफ साथ लायें।
14. जिन अभ्यार्थियों का निवेदन फार्म डाक द्वारा या किसी अन्य कारण से निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है तो वह मान्य नहीं होगा।
15. यदि अभ्यार्थियों का आवेदन फार्म व उसमें दी गई सम्बन्धित जानकारी सही नही पाई जाती तो उसके आवेदन को किसी भी स्तर पर रद्द कर दिया जाएगा।

<u>आवेदन भेजने से पहले उपरोक्त शर्तों एवं पूर्ण विज्ञापन का अवलोकन करें।</u>

इस भर्ती की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के सभी वन/वन्य प्राणी वृतों में हो रही है। अतः निवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने नज़दीकी वन/वन्य प्राणी वृत में ही आवेदन करें।

अन्य जानकारी के लिए अरण्यपाल नाहन वन वृत के कार्यालय में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

वन वृत नाहन 01702–222489, 01702–224824

मुख्य अरण्यपाल,
नाहन वन वृत, नाहन।

फार्म न0.......................
(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं एवं हस्ताक्षर करें।

वन विभाग, हिमाचल प्रदेश
अनुबन्ध के आधार पर वन रक्षक की भर्ती के लिए आवेदन पत्र
भाग–1

(वन–वृत का नाम) **(आवेदक का विवरण)**

1.	नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	स्थाई पता	
4.	(क) पत्राचार हेतू पता (ख) दूरभाष/मोबाईल न0	
5.	पहचान चिन्ह	
6	आवेदक किस श्रेणी से सम्बन्ध रखता है: (क)साधारण / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग (ख) आई.आर.डी.पी./स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चे/पौत्र/पौत्री/प्रतिष्ठित खिलाड़ी इत्यादि। **(सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।)**	(क)......................... (लागू श्रेणी का नाम) (ख)......................... (लागू श्रेणी का नाम)
7	जन्म तिथि (दसवीं प्रमाण पत्र के अनुसार) आयु दिनांक 01.01.2019 (क) अंको में (ख) शब्दों में **(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)**	तिथि माह वर्ष [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ] ....
8	षैक्षणिक योग्यता 1.दसवीं 2.बारहवीं 3.बी.ए./बी.एस.सी./बी कॉम 4. एम.ए./एम.एस.सी./एम कॉम 5.अन्य **(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)**	पास वर्ष, प्राप्त अंक प्रतिषत लिखें ....
9	(क) रोजगार/ उपरोजगार कार्यालय का नाम एवं पता (ख) पंजीकरण संख्या **(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)**	....

संलग्न प्रमाण पत्रो की सूची:

1.	3.	5.
2.	4.	6.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मैं वन रक्षक के पद की समस्त शर्तों एवं योग्यता को पूरा करता/करती हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त दी गई सभी सूचना सही और विष्वसनीय है और यह कि मैंने हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य वृत में वन रक्षक की भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं समझता/समझती हूं कि यदि कोई उपरोक्त तथ्य गलत पाएं जाते हैं तो मेरा/मेरी उम्मीदवारी आयोग्य घोषित की जा सकती है एवं/अथवा किसी भी स्तर पर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक........................ उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नोटः–

1. प्रमाण पत्र का स्वयं सत्यापन मान्य होगा।
2. फार्म जमा करवाने की अन्तिम तिथि व समय सम्बन्धित मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय में दिनांक **11.11.2019 सांय 5 बजे** तक है तथा जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों के आवेदकों के लिए अन्तिम तिथि **15.11. 2019 सांय 5 बजे** तक होगी।
3. दो खाली लिफाफों जिन पर प्रार्थी का नाम एवं पता लिखा हुआ हो व पांच रू0 की एक डाक टिकट प्रत्येक लिफाफे पर लगी हो साथ में सलंग्ति करें ताकि शारीरिक दक्षता टेस्ट और लिखित परीक्षा की तारीख के बारे चयनित प्रार्थी को सूचित किया जा सके। चूंकि इसकी सूचना दो स्थानीय अखबारों में भी प्रकाषित की जाएगी, अगर किसी प्रार्थी को शारीरिक दक्षता टेस्ट एवं लिखित परीक्षा की सूचना नहीं मिलती है तो वो नाहन वन वृत कार्यालय के दूरभाष नम्बर से अपनी चैस्ट नम्बर का पता कर सकता है।
4. प्रार्थी प्रार्थना पत्र के लिफाफे के ऊपर "वन रक्षकों की भर्ती 2019" लिखें व निम्नलिखित पते पर भेजें :–

मुख्य अरण्यपाल नाहन, वन वृत नाहन
जिला सिरमौर, हि0 प्र0
पिन कोड – 173001